न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
15/22	एफएसएसएस एक्ट, 2006	15/06/2022

1. पदम सिंह परमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर
–आवेदक

बनाम

1. गौतम शर्मा पुत्र श्री जबर लाल उम्र 30 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी पुरोहितों का बास ,ग्राम [illegible] लूणी (एफबीओ व मालिक) –फर्म – जोधपुर स्वीट एण्ड नाश्ता हाउस, [illegible] दिलीप सिंह पेट्रोल पम्प के सामने गंगापुर सिटी।
–अनिप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 28.08.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा दिनांक 02.11.2021 को मैसर्स जोधपुर स्वीट एण्ड नाश्ता हाउस का निरीक्षण किया। वहां निरीक्षण के दौरान पाया कि लगभग 5 किलोग्राम मावा बर्फी (मावा ,चीनी एवं पिस्ता से निर्मित) बिक्री हेतु रखी हुई थी को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त मावा [illegible] नमूना वास्ते जांच देने हेतु विक्रेता से कहा और फार्म नं0 5 ए मौके पर भरकर एक प्रति पर हस्ताक्षर [illegible] कि फार्म 5ए मूल पत्रावली में संलग्न है।

श्री प्रेमचन्द्र के अनुसार विक्रेता की उक्त 5 किलोग्राम मावा बर्फी (मावा ,चीनी एवं पिस्ता से निर्मित) में से 2 किलोग्राम मावा बर्फी (मावा ,चीनी एवं पिस्ता से निर्मित) खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता के अनुसार 500/– रु0 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मावा बर्फी (मावा ,चीनी एवं पिस्ता से निर्मित) [illegible] विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी कांच की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावा बर्फी (मावा ,चीनी एवं पिस्ता से निर्मित) को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में [illegible] फार्मलीन की 40–40 बूंदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर ढक्कन [illegible] बंद किये तथा लेबल [illegible] कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच–2151 दर्ज किया तथा नियमानुसार नमूने की कार्यवाही [illegible] तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूने [illegible] लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के [illegible] कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांधकर [illegible] सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को श्री [illegible] बॉय के द्वारा जमाकराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली में संलग्न है। 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग [illegible] लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को [illegible] रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2021/2596 दिनांक 02.12.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एफएसएल/1717/एक्ट/2021 /1580 दिनांक 25.11.2021 का अवलोकन करने पर यह नमूना अवमानक प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या [illegible] /1580 दिनांक 25.11.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक खाद्य [illegible] एवं पिस्ता से निर्मित) का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम [illegible] उपधारा 2 (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 [illegible]

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक श्री प्रेमचन्द्र जैन द्वारा अभियुक्त को पुलिस का डर दिखाकर खाली कागजों में हस्ताक्षर करवा लिये गये थे। जिसका आवेदक द्वारा गलत उपयोग किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त नमूने की कार्यवाही अभियुक्त के समक्ष नहीं की गई है ना ही अभियुक्त को क्रय खाद्य पदार्थ का कोई भुगतान किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त कार्यवाही गलत व फर्जी तरीके से की गई है। अभियुक्त एक किराये की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, साथ ही वकील अभियुक्त ने अभियुक्त के प्रति नरमी रुख अपनाते हुए उक्त प्रकरण कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली में संलग्न खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1717/एफ्ट/2021/1580 दिनांक 25.11.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक खाद्य वस्तु मावा बर्फी (मावा, चीनी एवं मिल्क से निर्मित) का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। लेकिन यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को 10,000 (दस हजार) रु0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी